संख्या-167/2021/568अ /तेइस-14-2021-10आ0बु0वि0नि0/2017

प्रेषक,

महेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
हमीरपुर।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 25 मार्च, 2021**

विषय- बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद-हमीरपुर की 02 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-138/बु0वि0नि0रा0/2020-21, दिनांक 05.01.2021 एवं जिलाधिकारी, हमीरपुर के पत्र संख्या-554/डब्लू-18/03, दिनांक 10.03.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-हमीरपुर की 02 परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या[1]104/2018/167/23-14-2018-10आ0बु0वि0नि0/2017, दिनांक 31.03.2018 द्वारा जनपद हमीरपुर की 02 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल रू0 792.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 316.888 लाख अवमुक्त की गयी है। अत: जनपद हमीरपुर की 02 परियोजनाओं हेतु द्वितीय किस्त के रूप में कुल धनराशि रू0 230.00 लाख (रूपये दो करोड़ तीस लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/ जनपद हमीरपुर	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि का आवंटन
1	2	4	5	6
1	ग्राम गुसयारी ग्राम पेयजल योजना	486.36	194.544	140.00
2	ग्राम कपसा ग्राम पेयजल योजना	305.86	122.344	90.00
	योग	**792.22**	**316.888**	**230.00**

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- परियोजनाओं का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्यो को कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायॅ। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) परियोजनाओं की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(13) वित्त आय-व्ययक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24, मार्च, 2020 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत "पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-24-वृहत निर्माण कार्य" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या-167/2021/568अ(1)/23-14-2021-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, हमीरपुर ।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूटधाम क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बांदा।
8- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, हमीरपुर ।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in